मंडी शुल्क 1% किए जाने की अधिसूचना जारी

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने मंडी शुल्क 2 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत किए जाने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। मंडी निदेशक जेपी सिंह ने मंडी समितियों को इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि कृषि उत्पाद की बिक्री के सौदों पर मंडी शुल्क की दर उत्पाद के मूल्य की एक प्रतिशत होगी। ब्यूरो